

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : ११/२५

दिनांक २५.१.२५

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री हरनारायण पुत्र/पुत्री, पुत्री, सुखलाल न प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बलद्वारपुर पटवारी मण्डल मू० ५८५ तहसील छबड़ा
जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् २०२५-२७ के खाता संख्या १६९ में खातेदार/गैरखातेदार के पिता
नाम/जानि सुखराम अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से
सुखलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी मू० ५८५
से करवाने पर पटवारी ने सुखराम के बजाय सुखलाल
करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में सुखराम
के बजाय सुखलाल करना उचित बताया।
अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा १३६ राजस्थान भूराजस्व अधिनियम १९५६
एवं नियम ३६९ राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम १९५७ के अनुसूची १
ग्राम बलद्वारपुर के खाता संख्या १६९ में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति सुखराम
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से सुखलाल दर्ज करने का
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

सुखलाल
उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)